(Authoritative English Text of this Department notification No. Shram(A)3-9/2021 date 08th February, 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Labour &Employment.
*****

No. Shram(A)3-9/2021 Dated Shimla-171002 the **8th February, 2023.**

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by section 40 and 62 read with section 18 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the expert committee, constituted under section 5 of the said Act is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, notified vide this Department's notification No. Shram(A)4-6/2007-BOCW, dated 4th December, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 8th December, 2008, namely:-

Short-title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) First Amendment Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Amendment of rule 266.

2. For sub-rule (3) of rule 266 of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, the following shall be substituted, namely:-

"(3) The application for registration shall be accompanied with any of the following documents, provided that the applicant has worked for at least 90 days in the preceding twelve months:-

(i) A certificate or wage slip or copy of Muster Roll or Attendance Register from the employer/ contractor to the effect that the applicant is a construction worker. It must contain the following information:-

(a) Particulars of the Construction Worker clearly

mentioning period of employment;

(b) Full information about the employer's/ contractor's name;

(c) Name of work/ title of the work and cost etc.; and

(d) Whether employer/ contractor has paid cess for the work executed:

Provided that all such certificates/ documents shall be got verified by the Authorized Officer of the Board for the area concerned.

(ii) If certificate or documents as per clause (i) above are not available, a certificate issued either by Executive Officer of the Urban Local Bodies or Secretary of the Nagar Panchayat or respective Councillor/ Member of Ward Sabha in Municipal Corporation area or Panchayat Secretary of the Gram Panchayat, containing information regarding period of employment of Worker, Name of the Construction Work etc., may also be considered.

(iii) The work period of 90 days under clauses (i) and (ii) above during the preceding twelve months shall be clubbed for considering registration of the worker.".

By order,

Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Shram(A)3-9/2021 Dated Shimla-171002 the **8th February, 2023**

Copy forwarded for information and necessary to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla.
2. The Addl. Legal Remembrance-Cum-Secretary(Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Labour Commissioner-cum-Director of Employment, Himachal Pradesh, Shimla.
4. All the Head of Departments in Himachal Pradesh.
5. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
6. The Secretary-cum-CEO, HP BOCW Welfare Board Thakur Vatika, Khalini, Shimla-171002, Himachal Pradesh.
7. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary(Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

****

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग

संख्याः श्रम (ए)3—9/2021 तारीख शिमला—171002 08 फरवरी, 2023

<u>अधिसूचना</u>

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 के साथ पठित धारा 40 तथा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—6/2007—बी.ओ.सी.डब्ल्यू, तारीख 4 दिसम्बर, 2008 को अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मे तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्तें विनियमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्तें विनियमन) प्रथम संशोधन, नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश मे इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नियम 266 का संशोधन । 2. हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्तें विनियमन) नियम, 2008 के नियम 266 के उप—नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः—

"(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन निम्नलिखित किन्हीं दस्तावेजों के साथ किया जाएगा; परंतु आवेदक ने पूर्ववर्ती बारह मास में कम से कम 90 दिनों के लिए कार्य किया होः—

(i) नियोजक/ संविदाकार से उस आशय का प्रमाण पत्र या मजदूरी पर्ची या मस्टर रोल या उपस्थिति रजिस्टर की प्रति कि आवेदक एक सन्निर्माण कर्मकार है। इसमें निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होनी चाहिएः—

(क) नियोजन की अवधि को स्पष्ट रुप से उल्लिखित करते हुए सन्निर्माण कर्मकार की विशिष्टियां;

(ख) नियोजक / संविदाकार के नाम के बारे में पूर्ण सूचना;

(ग) कार्य का नाम / कार्य का अभिधान और लागत आदि; और

(घ) क्या नियोजक / संविदाकार ने निष्पादित कार्य के लिए उपकर का संदाय किया है;

परंतु ऐसे समस्त प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का संबंधित क्षेत्र के बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापन करवाया जाएगा

(ii) यदि उपरोक्त खंड (i) के अनुसार प्रमाण पत्र या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो या तो शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी या नगर पंचायत के सचिव या नगर निगम क्षेत्र में सम्बन्धित पार्षद / वार्ड सभा के सदस्य या ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें कर्मकार के नियोजन की अवधि, सन्निर्माण कार्य के नाम आदि से सम्बन्धित सूचना अंतर्विष्ट हैं, पर भी विचार किया जा सकेगा।

(iii) उपरोक्त खंड (i) और (ii) के अधीन पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान 90 दिन की कार्य अवधि को कर्मकार के रजिस्ट्रीकरण पर विचार करने के लिए जोड़ा जाएगा।"।

आदेश द्वारा,

सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या श्रम (ए) 3—9 / 2021 दिनांक शिमला—2, **08 फरवरी, 2023**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002
2. विधि परामर्शी एवं सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—171002
3. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार, हिमाचल प्रदेश शिमला—171001
4. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।

6. सचिव, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
7. गार्ड नस्ति।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

****